

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 14]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 13, 2014/पौष 23, 1935

No. 14]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 13, 2014/PAUSHA 23, 1935

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2014

अंतिम जांच परिणाम

(निर्णायक समीक्षा)

विषय : यूएसए और जापान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित फ्लेक्सिबल स्लैबस्टाक पालियोल के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच। (एसएसआर)

सं. 15/15/2012डीजीएडी-।—यतः समय अधिनियम प्रशुल्कसमय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क-, 1975जिसे) तएतदपश्चा अधिनियम कहा गया हैओं की पाटित वस्तु) समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क प्रशुल्क-और समय (,नियमावली (का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारणपहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क1995 तजिसे एतदपश्चा) नियमावली कहा गया हैत एतदपश्चाजिन्हें) प्राधिकारीन रखते हुए निर्दिष्टको ध्या (प्राधिकारी कहा गया हैने (सिंगापुर और यूरोपियन यूनियमन मूल के अथवा वहा ,यूएसए ,जापानं से निर्यातित फ्लेक्सिबल स्लैबस्टाक पालियोल तजिसे एतदपश्चा) सम्बद्ध वस्तु कहा गया है ,रसितम्ब 21 के आयातों के संबंध में मूल जांच दिनांक (2001 की अधिसूचना संख्या 41/1/2001-डीजीएडी के तहत प्रारंभ की थी। प्राधिकारी द्वारा इस मूल जांच का अंतिम जांच परिणाम दिनांक ,रसितम्ब 192002 की अधिसूचना संख्या 41/1/2001-डीजीएडी के तहत जारी किया गया था जिसमें यूएसए के आयातों पर सिंगापुर और यूरोपियन यूनियन के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु ,जापान , जांच परिणाम में की गई सिफारिशों के अधिरोपित करने की सिफारिश की थी। प्राधिकारी द्वारा उक्तनिर्णायक शुल्क आधार पर यूएसए के द्व वस्तुसिंगापुर और यूरोपियन यूनियन के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सम्ब ,जापान , ,बरअक्तू 31 य सरकार ने दिनांकआयातों पर केन्द्री2002 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 120/2002- सीमा-शुल्क के तहत निर्णायक पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण किया था।

2. यतः, यूएसए के द्व वस्तुसिंगापुर और यूरोपियन यूनियन में उद्धवित अथवा वहां से निर्यातित सम्ब ,जापान , की प्राधिकारी द्वारा प्रथम निर्णायक समीक्षा जांच दिनांकय सरकार द्वारा अधिरोपित पाटनरोधी शुल्कआयातों पर केन्द्री ,रदिसम्ब 272006 की अधिसूचना संख्या 15/25/2006-डीजीएडी के तहत प्रारंभ की गई थी और यूएसएजापान , के सतत अधिरोपण की सिफारिश करते हुए प्राधिकारी के आयातों पर पाटनरोधी शुल्कद्व वस्तुऔर सिंगापुर से सम्ब ,रदिसम्ब 26 द्वारा अंतिम जांच परिणाम दिनांक2007 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 15/25/2006-डीजीएडी ,जनवरी 10 जिसे प्राधिकारी ने दिनांक)2008 की अधिसूचना संख्या 15/25/2006-डीजीएडी के तहत संशोधित किया था के आयातों पर द्व वस्तुजापान और सिंगापुर से सम्ब ,के तहत जारी किया गया था। यूएसए (य सरकार का सतत अधिरोपण केन्द्रीनिर्णायक पाटनरोधी शुल्कार द्वारा दिनांक ,फरवरी 52008 की सीमा-शुल्क अधिसूचना संख्या 15/2008-सीमा-शुल्क के तहत अधिसूचित किया गया था।

3. :यत, मैसर्स मनाली पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेडघरेलू उद्योग की ओर से अधिनियम और नियमावली ,ई नेचेन्न , के अनुसार प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदनपत्रयूएसए और जापान में उद्धवित अथवा वहां से निर्यातित सम्बद्ध वस्तु के पाटन की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना का आरोप लगाते हुए दायर किया और उसमें सम्बद्ध देशों में उद्धवित अथवा वहां से निर्यातित सम्बद्ध वस्तु के आयातों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा दिनांक ,फरवरी 052008 की सीमा-शुल्क अधिसूचना सं .15/2008सीमा--शुल्क के तहत अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की द्वितीय निर्णायक समीक्षा करने का प्राधिकारी से अनुरोध किया। मैसर्स मनाली पेट्रोकेमिकल्स द्वारा यह दावा किया गया कि वे सम्बद्ध वस्तु के भारत में एकमात्र उत्पादक हैं और इसलिए वे नियमावली के आशय के अंतर्गत घरेलू उद्योग हैं। मैसर्स मनाली पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर किए गए विधिवत प्रमाणीकृत आवेदन पत्र के मद्देनजर और पाटनरोधी नियमावली के नियम के साथ 23) क9 पठित अधिनियम की धारा5के अनुसार प्राधिकारी ने यूएसए और जापान में उद्धवित अथवा वहां से निर्यातित (के अधिरोपण की निरंतरता की समीक्षा करने और यह जांच करने के लिए कि के संबंध में प्रभावी शुल्कद्व वस्तुसम्ब को सम शुल्क उक्तक्यााप्त कर देने से क्षति की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने तथा घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है ,जनवरी 24 दिनांक ,2013 की अधिसूचना संख्या 15/15/2012-डीजीएडी के तहत एक निर्णायक समीक्षा जांच प्रारंभ की। केन्द्रीय सरकार ने दिनांक 05.02.2008 की अधिसूचना संख्या 15/2008- के तहतसीमाशुल्कनिर्णायक पाटनरोधी शुल्क दिनांक 04.02.2013 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं .1/2013 सीमाशुल्क- के तहत दिनांक04.02.2014 तक के लिए बढ़ाया।

विचाराधीन उत्पाद

4. प्रथम निर्णायक समीक्षा जांच और द्वितीय निर् ,मूल जांचणायक समीक्षा जांच में अंतर्ग्रस्त उत्पाद फ्लेक्सिबल स्लैबस्टाक पालियोल है। यह उत्पाद 3000-इसका विनिर्माण , आलग तरल हैचलर बजन का स्वमालिक्यू 4000 इड का पुरुभाजन करके किया जाता है। यह एक इड ओर इथायलीन आक्साटर् से प्रोपायलीन आक्साट्रिओल चैन स्टा पालीईथर है और कैटालिस्ट एवं संवर्धकों के अभिक्रिया करके पालीयूरीथीन फोम प्रदान करता है जिसका प्रयोग भूषावरणक बस्टायातायात सीटिंग और पैकेजिंग में किया जाता है। फ्लेक्सिबल स्लै ,टर्सबोल्स ,तकियों ,चटाइयों , पालियोल का परिवहन टैंकों में किया जाता है और इसका भंडारण स्टील के ड्रमों में किया जाता है। इस विचाराधीन उत्पाद को सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम ,1975 के अध्याय की श्रेणी के अंतर्गत "स्टिक और उनकी मर्देप्ला" में 29 3907 सीमाशुल्क वर्गीकरण के अनुरूपतथा इसके अतिरिक्त.के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता ह 20ै।

जांच की अवधि

5. (पीओआई) वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि01 अक्टूबर ,2011 से ,रसितम्ब 302012)12 माह2009 षण में वर्षक्षति विश्ले ,है। तथापि (-10, 2010-11, 2011-और जांच की अवधि को शामिल किया 12 जाएगा।

जांच शुरुआत के उपरान्त उत्तरवर्ती घटनाएं

6. मैसर्स मनाली पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ने अपने प्राधिकृत विधिक प्रतिनिधि के जरिए प्राधिकारी को एक पत्र प्रस्तुत किया जिसमें यह उल्लेख किया गया कि जब से निर्णायक समीक्षा जांच प्रारंभ कि गई है तब से यूएसए और जापान से संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित हालात में भारी परिवर्तन आ गया है और इसलिए वे शुल्क का विस्तार करने के लिए अपने निर्णायक समीक्षा आवेदन पत्र को वापस लेना चाहते हैं ।

निष्कर्ष एवं सिफारिश

7. ने प्राधिकारी को यह सूचना दी कि वे यूएसए और जापान में जिसमें उन्होंने, पत्रघरेलू उद्योग के उक्त उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित सम्बद्ध वस्तु के आयातों पर शुल्क का विस्तार करने के लिए निर्णायक समीक्षा के अपने आवेदनपत्र को वापस लेना चाहते हैं कि वर्तमान निर्णायक के आधार पर प्राधिकारी यह निष्कर्ष, जांच करने की जरूरत नसमीक्षा में कोई अन्यही है और यूएसए तथा जापान में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित फ्लेक्सिबल स्लैबस्टॉक पॉलीओल के आयातों पर प्राधिकारी द्वारा दिनांक, रदिसम्ब 262007 की अधिसूचना संख्या 15/25/2006-डीजीएडी के तहत जारी अंतिम जांच परिणाम, जनवरी 10 जिसमें दिनांक)2008 की अधिसूचना संख्या 15/25/2006-डीजीएडी के तहत प्राधिकारी द्वारा संशोधन किया गया थाय सरकार द्वारा त और केन्द्रीमें यथासंस्तु (, फरवरी 05 दिनांक2008 की सीमा-शुल्क अधिसूचना संख्या 15/2008-सीमाशुल्क के तहत अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क, जिसे केन्द्रीय सरकार ने दिनांक 04.02.2013 की सीमा-शुल्क अधिसूचना सं. 1/2013सीमा--शुल्क के तहत दिनांक 04.02.2014 तक के लिए बढ़ाया था, के समापन की संस्तुति करते है।

जे. एस. दीपक, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 2014

Final Findings

(Sunset Review)

Subject : Sunset Review (SSR) Investigation in respect of imports of Flexible Slabstock Polyol, originating in or exported from USA and Japan.

No. 15/15/2012-DGAD.—Whereas, having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the AD Rules), the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) had initiated the original investigation concerning imports of Flexible Slabstock Polyol (hereinafter referred as the subject goods), originating in or exported from USA, Japan, Singapore and European Union vide Notification No. 41/1/2001-DGAD dated 21st September, 2001. The Final Findings in the original investigation were issued by the Authority vide Notification No. 41/1/2001-DGAD dated 19th September, 2002, recommending imposition of definitive duties on the imports of the subject goods originating in or exported from USA, Japan, Singapore and European Union. On the basis of the said recommendations made by the Authority in the said Final Findings, definitive anti-dumping duty was imposed by the Central Government on the imports of the subject goods, originating in or exported from USA, Japan, Singapore and European Union vide Customs Notification No. 120/2002-Customs dated 31st October, 2002.

2. Whereas, the first Sunset Review of the anti-dumping duty imposed by the Central Government on the imports of the subject goods, originating in or exported from USA, Japan, Singapore and European Union was initiated by the Authority vide Notification No.15/25/2006-DGAD dated 27th December 2006 and the Final Findings recommending continued imposition of anti-dumping duties on the imports of the subject goods from USA, Japan and Singapore was issued by the Authority vide Final Findings Notification No. 15/25/2006-DGAD dated 26th December 2007 (amended by the Authority vide Notification No. 15/25/2006-DGAD dated 10th January, 2008). The continued imposition of definitive anti-dumping duties on the imports of the subject goods from USA, Japan and Singapore was notified by the Central Government vide Customs Notification No. 15/2008-Customs dated 5th February 2008.

3. Whereas, M/s Manali Petrochemicals Ltd, Chennai, on behalf of the domestic industry, had filed an application before the Authority in accordance with the Act and the Rules, alleging likelihood of continuation or recurrence of dumping of the subject goods, originating in or exported from USA and Japan and consequent injury to the domestic industry and requested the Authority for second Sunset Review of the anti-dumping duty imposed by the Central Government on the imports of the subject goods, originating in or exported from USA and Japan vide Customs Notification No. 15/2008-Customs dated 5th February, 2008. As claimed by M/s Manali Petrochemicals Ltd, they are the sole producer of the subject goods in India and, therefore, constitute the domestic industry within the meaning of the Rules. In view of the duly substantiated application filed by M/s Manali Petrochemicals Ltd and in accordance with Section 9 A (5) of the Act, read with Rule 23 of the Anti-dumping Rules, the Authority initiated a sunset review investigation vide Notification No. 15/15/2012-DGAD dated 24th January, 2013 to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from USA and Japan and to

examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry. The antidumping duty as notified vide Notification No. 15/2008-Customs dated 5th February, 2008 was extended by the Central Government up to 4th February, 2014, vide Notification No. 1/2013-Customs (ADD) dated 4th February, 2013.

Product under consideration

4. The product involved in the original investigation, the first sunset review investigation and the second sunset review investigations is Flexible Slabstock Polyol. The product is a clear viscous liquid of molecular weight 3000-4000, manufactured by polymerization of propylene oxide and ethylene oxide with a triol chain starter. It is a polyether and on reaction with catalysts and additives yields polyurethane foams used in upholstery, mattresses, pillows, bolsters, transport seating and packaging. Flexible Slabstock Polyol is transported in tankers and stored in steel drums. The product under consideration is classified under the category "Plastics and articles thereof" in Chapter 39 of the Customs Tariff Act, 1975 and further under 3907.20 as per Customs Classification.

Period of Investigation

5. The Period of Investigation (POI) for the purpose of the present review is from 1st October, 2011 to 30th September, 2012 (12 months). However, injury analysis shall cover the years 2009-10, 2010-11, 2011-12 and the POI.

Subsequent Events after Initiation

6. M/s Manali Petrochemicals Ltd, the domestic industry, submitted letter to the Authority through their authorized legal representative stating that the situation with regard to the imports of the subject goods from USA and Japan has undergone significant changes since the initiation of the sunset review investigation and, therefore, they would like to withdraw their application of sunset review for extension of the duties.

Conclusions and Recommendations

7. On the basis of the said letters by the domestic industry informing the Authority that they would like to withdraw their application of sunset review for extension of the duties in respect of the imports of the subject goods originating in or exported from USA and Japan, the Authority concludes that there is no need for further investigation in the present sunset review and recommends discontinuation of anti dumping duty on the imports of Flexible Slabstock Polyol, originating in or exported from USA and Japan as recommended by the Authority in the Final Findings issued vide Notification No 15/25/2006-DGAD dated 26th December, 2007 (amended by the Authority vide Notification No. 15/25/2006-DGAD dated 10th January, 2008) and imposed by the Central Government vide Customs Notification No. 15/2008-Customs dated 5th February 2008 and further extended by the Central Government up to 4th February, 2014 vide Notification No. 1/2013-Customs (ADD) dated 4th February, 2013.

J. S. DEEPAK, Designated Authority